प्रकरण संख्या 27/2022 पारसमल बनाम सरकार

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27.09.2023	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि हाल अपीलान्ट ने अधिनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा तरपाल, तहसील गोगुन्दा में प्रार्थी की आराजी नंबर 2896 रकबा 0.0100 हैक्टर एवं 2898 रकबा 0.1250 हैक्टर भूमि स्थित है, जिस पर आने–जाने का एक मात्र रास्ता विपक्षी संख्या 2 की आरजी नंबर 2897 से है, जिसका प्रार्थी वर्षो से उपयोग–उपभोग करता चला आ रहा है, किन्तु विपक्षी रास्ते में कांटा इत्यादि डालकर आने–जाने में बाधा उत्पन्न करते हैं। अतः प्रार्थी को विपक्षी संख्या 2 की आराजी नंबर 2897 में से 30 फिट रास्ता दिलाया जाकर राजस्व रेकार्ड में अंकित किया जावे। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण राजस्व कैम्प में रखकर अपने निर्णय दिनांक 02.12.2021 से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रार्थी द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 29.11.2022 को प्रस्तुत की गयी है। अपील दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट 1 व 2 की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। अपीलान्ट ने अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी अपीलान्ट को नहीं दी गयी। कोरोना के बाद अपीलान्ट ने स्वयं दिनांक 15.11.2022 को जाकर प्रकरण के बारे में पता किया तब उक्त निर्णय की जानकारी हुई। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा करते हुए अपील अन्दर अवधि शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र भी पेश किया। हमने उक्त आवेदन का अवलोकन कर पत्रावली का मनन किया। प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगत न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय से सी.पी.सी. के प्रावधानों के विपरीत कुछ अजनवी व्यक्तियों का सहारा लेकर अश्चर्यजनक रूप से निर्णय पारित किया है, जबकि वे इस प्रकरण में पक्षकार ही नहीं थे न ही इस प्रकरण से उनका कोई सरोकार है। पटवारी रिपोर्ट	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:55:16 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण संख्या 27/2022 पारसमल बनाम सरकार

दिनांक 15.09.2021 अनुसार अपीलान्ट की आराजियात में आने–जाने का एक मात्र रास्ता आराजी नंबर 2897 से होना स्पष्ट है, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने एक मिथ्या रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। प्रकरण में दिनांक 06.12.2021 की पेशी नियत थी, किन्तु बिना अपीलान्ट को कोई सूचना दिये इसके 4 दिन पूर्व दिनांक 02.12.2021 को प्रकरण प्रशासन गांव के संग में रखकर निर्णय पारित कर दिया, जो त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने उक्त बहस का जवाब देते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय में राजस्व रेकार्ड अनुसार निर्णय पारित किया है। जो विधि सम्मत है। अतः अपील खारिज की जावे।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया। पटवारी रिपोर्ट दिनांक 15.09.2021 अनुसार अपीलान्ट/प्रार्थी अपने खातेदारी की आराजी नंबर 2896 व 2898 में आने–जाने विपक्षी/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 के खाते की आराजी नंबर 2897 में सदीप से उपयोग करना अंकित है, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 02.12.2021 की पटवारी रिपोर्ट अनुसार जो अपीलान्ट की अनुपस्थिति में एवं उसे बिना कोई सूचना दिये तैयार की गयी है, उसके आधार पर उसी दिन आदेशिका पर अजनबी व्यक्तियों के हस्ताक्षर करवाकर अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया, जबकि प्रकरण में पेशी दिनांक 06.12.2021 नियत थी, जिससे स्पष्ट है कि अपीलान्ट को प्रकरण में अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर प्रदान नहीं किया गया है। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटि पूर्ण होकर अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 02.12.2021 निरस्त किया जाता है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में अपीलान्ट को विधिवत सुनवाई का अवसर देकर एवं साक्ष्य लेकर साक्ष्य सबूतों के आधार पर पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 28.11.2023 को उपस्थित रहें। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 27.09.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:55:16 IST
Reason: SelfAttested

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर